न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नगर (डीग)राज

पीठासीन अधिकारी :– अनुराग हरित (आर.ए.एस.)

दावा संख्या:– 55 / 2015

दायर दिनांक:–25.05.2015

1-भोवलसिंह पुत्र स्व० श्री कन्हैया जाति गुर्जर निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर जिला डीग (राज०)

बनाम

1- प्रेम पुत्र कन्हैया (मृतक)
1/1-मुसं० मसू धर्मपत्नि स्व० श्री प्रेम
1/2-दिनेश पुत्र स्व० श्री प्रेम
1/3-जीतेन्द्र पुत्र स्व० श्री प्रेम
जातियान कोली, निवासीयान ग्राम बेरू, हाल आबाद दुर्गा कोलोनी, सूर्यनगर अलवर (राज०)
2- मनोहरी
3- कमल
4- डालचंद
5- बलराम
6- जीतमलपिसं० कन्हैया
7- मुसं० मंगली पत्नि स्व० श्री कन्हैया (मृतक) जातियान कोली, निवासीयान ग्राम बरू, तहसील नगर (डीग) राज०
8- राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार, तहसील नगर (डीग) राज०
9-राजस्थान सरकार तामील जरिये उपपंजीयक, तहसील नगर (डीग) राज०

–असल प्रतिवादीगण

10- हरफूल पुत्र स्व० श्री कन्हैया
11-म० चन्द्रकला पत्नी स्व० श्री सुगनी
12- सुन्दरसिंह पुत्र स्व० श्री सुगनी
13- शिव्वो सिंह पुत्र स्व० श्री सुगनी जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम बेरू तहसील नगर जिला डीग (राज०)

-तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्त कराये जाने राजस्व रिकार्ड व नक्शा एंव डिक्लेरेशन तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर०टी०एक्ट।

निर्णय दिनांक :–11.09.2024

उपस्थित:
(अधिवक्ता वादी : श्री दिनेश कुमार गुप्ता)
(अधिवक्ता प्रतिवादीगण : श्री मंगलराम)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
नगर (डीग) राज०

प्रकरण संक्षेप में वादी द्वारा कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया है किआराजी खसरा नंबर 681 / 0.77 वाके ग्राम वेरू तहसील नगर में स्थित है । हाल खसरा नंबर 681 का साबिक खसरा नंबर 378 था, जिसके साथ खसरा नंबर 421 मिन व 439 मिन को सम्मलित मुताबिक खसरा पत्रक दर्शाया गया है । वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति हैं जिनका पारिवारिक सजरा कुछ इस प्रकार है :-

श्री काशी के पुत्र श्री कन्हैया के तीन वारिसान थे । जो की श्रीभोवलसिंह (वादी) ,सुगनी (फोत), हरफूल हुए । श्रीमती सुगनी देवी के फोत होने के पश्चात तीन विधिक वारिसान हुए । मुन्दरसिंह, शिब्बोसिंह व मु० चन्द्रकला उक्त पारिवारिक सजरा के अलावा वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण की वंशावली को राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित करने के लिये राजस्व रिकार्ड की नकल सजरा संवत 2010 लगायत 2013 की प्रमाणित प्रति वादी द्वारा वाद के साथ पेश की गई है ।वादी का कथन है कि साविक खसरा नंबर 378 का रकवा 8 बीघा 11 बिस्वा मुताविक रिकार्ड है। जिसकी ताईद नकल जमाबन्दी संवत 2010 लगायत 2013 से होती है और खेवट खतोनी से भी प्रमाणित है ।

वादी के पिता मृतक कन्हैया के नाम साविक खसरा नंबर 378 का निस्फ हिस्सा था जिसे वादी के पिता ने अपने जीवन काल में काश्त किया, राजस्व रिकार्ड में सेटिलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा तथा राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व निर्णय के राजस्व रिकार्ड में तथा साविक नक्शा में परिवर्तन कर दिया, तबकि कानूनन उन्हें ऐसा अधिकार हांसिल नहीं था,इसलिये वादी राजस्व रिकार्ड को तथा वर्तमान नक्शा को साविक रिकार्ड तथा साबिक नक़्शे के अनुरूप दुरूस्त करा पाने का कानूनी रूप से हकदार है और डिकी डिक्लेरेशन न्यायालय से पाने का अधिकारी है।

साविक रिकार्ड में दर्ज खसरा नंबर 421 रास्ते का है जो रास्ता साविक खसरा नंबर 378 के वजानिब पूरव दिशा में था और जिसका स्पष्ट रूप से साविक नक्शा में दर्शाया गया है, बल्कि नवीन नक्शा में रास्ते की जगह को किसी भी तरह से निरस्त नहीं किया है जो एक महत्वपूर्ण विधिक त्रुटि है और खसरा नंबर 439 सरकार के खाते की जमीन थी, जिसकी ताईद भी साविक रिकार्ड से होती है, ऐसी स्थिति में कानूनन वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण अपने मृतक पिता कन्हैया द्वारा छोड़ी गई जायदाद के मालिक वहैसीयत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के अनुरूप है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण को विरासतन मिली समस्त चल एंव अचल सम्पत्ति का वाहमी पारिवारिक बटवारा वारिसान के मध्य हो चुका है और उस वाहमी बटवारे को भी अर्सा एक लम्बा समय हो चुका है और उस वाहमी बटवारे में विवादित रकवा सवा चार बीघा अर्थात मुताबिक साविक नंबर के वादी के बट में आया, उस पारिवारिक बटवारे के मुताविक वादी पृथक से काबिज हुआ तथा मौके पर काबिज बतौर मालिक बहैसीयत खातेदार काबिज रहकर काश्त कर रहा है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई किसी प्रकार का सरोकार व संबंध नहीं है लेकिन खिलाफ मौका व कानून वर्तमान राजस्व रिकार्ड में असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का नाम दर्ज है, जिसे वादी 0.69 ऐयर से कलमजन करा अपना नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है ।साविक खसरा नंबर 378 का रकवा 8 बीघा 11 विस्वा है जिसके निस्फ हिस्सा मैट्रिक पद्धति से 4 बीघा 5 बिस्वा बनते हैं, इसके मुताबिक रकवा ऐयर प्रणाली में 0.69 होते हैं और असल प्रतिवादीगण के नाम 0.77 ऐयर रकवा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज अभिलेख है, इसलिये हाल खसरा नंबर 681 के रकवा में से वादी के रकवा की पूर्ती हो रही है, इसलिये वादी असल प्रतिवादी सं० 1 लगायत 7 के नाम हो रहे इन्द्राजात के नाम 0.69 ऐयर रकवा पर से उनका नाम कलमजन करा अपना नाम दर्ज करा पाने का हकदार है ।असल प्रतिवादी सं० 1 लगायत 7 के नाम जो इन्द्राज वर्तमान राजस्खे रिकार्ड में दर्ज हैं, वह इसलिये खिलाफ मौका व कानून हैं क्योंकि असल प्रतिवादीगण के पास ना तो राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने के लिये ना तो कोई बयनामा था और न ही कोई अन्य दस्तावेज था तथा न ही मौके पर कभी कब्जा रहा और न ही आज है तब उस स्थिति में कानूनन वादी एंव वादी के बुजुर्गान के बिना सहमति व सुनवाई तथा साक्ष्य के अभाव में यदि सेटिलमेल्ट विभाग द्वारा अथवा राजस्व कर्मचारी द्वारा या फिर किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा रिकार्ड को परिवर्तित

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (...)

किया गया तो वह कानूनन प्रारम्भ से ही प्रभावहीन व शून्य था तथा मुताबिके वादी एंव वादी के पूर्वजों के बातिल व बेअसर होकर नल एण्ड बोइड था, जिसका कोई कानूनन औचित्य नहीं था, और जिसके आधार पर असल प्रतिवादीगण को हक व अधिकार न कभी हांसिल हुए और न आज हैं। इसलिये वादी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती तथा डिक्री डिक्लेरेशन वाहक वादी जारी की जाती है तो प्रतिवादीगण को आपत्ति करने का विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है, तदोपरान्त भी उन्हें इसलिये असल आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। क्योंकि उनके नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है ताकि उन्हें सुना जा सके और यदि कोई दस्तावेज उनके पास हक या अधिकार संबंधित हों तो वे न्यायालय में आकर प्रस्तुत कर सकें।

प्रतिवादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड दर्ज है, जबकि वादिक के मुकाबले कम है, उस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण वादी के हित व अधिकारों पर कुठाराघात पहुँचाने की नीयत से राजनैतिक लोगों की चाल में आकर विवादित रकबा को दीगर व्यक्तियों के पक्ष में दान अथवा रहन, बय मुन्तकिल करने पर आमादा हैं जिसके बाबत प्रतिवादीगण ने अब से करीब चार साल पूर्व भी एक बार विवाद किया लेकिन तब गांव के पाँच लोगों की मौजूदगी में प्रतिवादीगण ने वादी पक्ष को सहमति से रिकार्ड को सही कराने का आश्वासन दे दिया था, इसलिये विवाद न्यायालय तक नहीं आया लेकिन दिनांक 19-05-2015 को प्रतिवादीगण ने जमीन पर आकर झगडा करने की स्थिति पैदा की तथा धमकी दी, जिससे वादी को मानसिक क्षति पहुंची क्योंकि यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अपार क्षति होना स्वाभाविक है, इसलिये वादी विरूद्ध असल प्रतिवादीगण डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। तरतीवी प्रतिवादीगण वादी के परिवारीजन हैं जो वक्त दायरी वाद पत्र उपहस्थत नहीं थे, जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादी की जानकारी में आया है कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा सांविक खसरा नंबर 378 के अथवा अन्य किसी नंबर के रकबा का विद्युत विभाग को आवंटन कर दिया बताया, उस आवंटन के आधार पर राजस्व कर्मचारी गैरकानूनी व अवैधानिक पैमाईश करा व कर वादी के सडक के किनारे लगी जमीन को चिन्हित कर विवाद को बढाने की चेष्टा में हैं, जबकि मुताबिक सांविक नक्शा वादी की जमीन एंव खसरा नंबर सड़क के सटैवां किनारे पर लगा हुआ है तथा साबिक नंबर के पीछे अर्थात बतरफ पूर्व दिशा में भी रास्ता था जिस रास्ते को सांविक नक्शा में दर्शाया गया है और नक्शा में नम्बर का भी उल्लेख मौजूद है इसके विपरीत नवीन नक्शा में पूर्व दिशा वाले रास्ते को हटा दिया गया है तथा रास्ते की जमीन पर अन्य दीगर व्यक्तियों का आधिपत्य हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब तक सेटिलमेन्ट विभाग के अमीनों से पेमाईश नहीं कराई जाती और चिन्हित नहीं कराया जाता तब तक कोई भी निर्माण स्थाई अथवा अस्थाई रूप से कर अथवा करा दिया जाता है तो निश्चित रूप से वादी की मौलिक अधिकारों के साथ-साथ संवैधानिक अधिकारों का हनन होना स्वाभाविक है। इन परिस्थितियों में वादी का वाद पत्र गंभीर प्रकृति का होकर अत्यन्त आवश्यक है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल वादी अदालत से यह अनुतोष पाने का अधिकारी है कि ताफैसला मुकदमा रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत कायम रखवाई जावे ताकि बेवजह मुकदमों की बाहुल्यता से बचा जा सके।अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाहक वादी कुछ इस प्रकार डिक्री फरमाया तथा डिक्री डिक्लेरेशन इस आशय की जारी की जावे कि सांविक खसरा नंबर 378 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम बेरू तहसील नगर के 1/2 हिस्सा पर हो रहे इन्द्राज मृतक पिता कन्हैया वादी के मुताबिक नवीन खसरा नंबर 681 के 0.69 ऐयर रकबा पर प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन कर वादी का नाम पृथक से दर्ज अभिलेख हो एंव नवीन नक्शा में सांविक नक्शा के अनुरूप तरमीम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 के बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा बिना जवाब प्रस्तुत किए ही मौखिक बहस की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस अपने अपने तथ्य रखे गये। प्रतिवादिगण की ओर से एक राज़ीनामा प्रदर्श

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग)

पत्रावली है । तस्दीक़ न होने के कारण उसपर विचार नहीं किया जा सकता है।विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादिगण द्वारा न्यायालय द्वारा वर्तमान वाद में कोई भी न्यायसंगत आदेश किया जाने बाबत सहमति व्यक्त की गई ।

वाद में मुख्यतः जिस बिंदु पर विचार किया जाना है।

१) वादी के पूर्वजों के नाम साबिक़ रिकॉर्ड में दर्ज इंद्राज़ात के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से हो रहे वर्तमान रिकॉर्ड में हो रहे इंद्राज कलमजन कराये जाकर वादी दावा डिक्री अपने पक्ष में किए जाने का अधिकारी है अथवा नहीं।

जमाबंदी संवत् 2010-13 पर वादी के पिता कन्हैया वल्द बंशी निस्फ़ हिस्से पर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।साबिक खसरा न 378 रक़बा 8 बीघा 11 बिस्वा।साबिक खसरा नंबर 378 था, जिससे खसरा नंबर 421 मिन व 439 मिन को सम्मलित मुताबिक खसरा पत्रक दर्शाया गया है।हाल खसरा नंबर 681 रक़बा 0.96 के 681/0.77, 1520/681/0.19 बने है ।रक़बा 0.96 मे से 0.77 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वजों के नाम दर्ज हुआ है एवं 0.19 बिजलीघर के लिए आवंटन हुआ है।पत्रावली पर प्रदर्श ग्राम बर्रू की जमाबंदी संवत् २०८०-८३ पर खाता संख्या २१४ पर प्रतिवादिगण दर्ज रिकॉर्ड है।साबिक रिकार्ड में दर्ज खसरा नंबर 421 रास्ते का है जो रास्ता साबिक खसरा नंबर 378 के वजानिब पूरब दिशा में था और जिसका स्पष्ट रूप से साबिक नक्शा में दर्शाया गया है, बल्कि नवीन नक्शा में रास्ते की जगह को किसी भी तरह से निरस्त नहीं किया है जो की पत्रावली पर उपलब्ध नक़्शा मसाबी व नक़्शा सेटलमेंट के अकलोकन से स्पष्ट है। यह एक विधिक त्रुटि है।

प्रकरण में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई । मुताबिक़ रिपोर्ट पटवारी हल्का बर्रू जमाबंदी संवत् 2010-13 पर वादी के पिता कन्हैया वल्द बंशी निस्फ़ हिस्से पर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी 2014-17 में पर वादी के पिता कन्हैया वल्द बंशी निस्फ़ हिस्से पर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2018-21 उपलब्ध नहीं है तथा जमा० स० 2022-25 के मुताबिक़ साबिक खसरा नंबर 378 रक़बा 8 बीघा 11 बिस्वा सिवायचक दर्ज है जिसका कोई कारण का उल्लेख कहीं नहीं पाया जाता है। यही प्रविष्टियाँ संवत् 2026-29 में बदस्तूर जारी है । जमा० 2029-32 ,2032-35,2035-38,2039-41 का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मुताबिक़ रिपोर्ट पटवारी जमा० संवत् 2042-45 के अन्तर्गत जो प्रविष्ठीयाँ दर्ज रिकॉर्ड है उनका स्रोत का विवरण भी उक्त ज़मांबंदी में उल्लिखित नहीं है। अतः बिना सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय के आदेश के तत्कालीन प्रविष्टियों को सेटलमेंट अधिकारिगण द्वारा बदला गया है। जो की विधि सम्मत नहीं हैव यहएक विधिक त्रुटि है।

भू प्रबंध के दौरान हुई त्रुटियों के निराकरण हेतु विधिक प्रावधान कुछ इस प्रकार से है। राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 दिनांक 22-11-95 से लागू हो गया है। इसके अनुसार भू-प्रबंध के दौरान भू-प्रबंध कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा धारा 123 व 125 LR ACTकी आड़ में कब्जे के आधार पर खातेदारी भूमि को सिवाय चक/चारागाह या इसके विपरीत सिवाय चक या चारागाह को खातेदारी में अंकित कर दिया जाता था जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अनियमितताएं हुई हैं जिनसे अनावश्यक मुकदमेबाजी भी बढ़ी है और कब्जे के आधार पर अन्य ऐसे विवाद भी निर्णित कर दिये जाते थे जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। इस संशोधन के द्वारा धारा 122 की संशोधित किया गया, धारा 123 व 125 LR ACTकी विलोपित किया गया और धारा 136 LR ACTको प्रतिस्थापित किया गया। इस संशोधन के पीछे मूल भावना यह थी कि उपरोक्त प्रकार की गलतियों पर अंकुश लग सके तथा समरी ट्रायल से उपरीक गलतियों की ठीक किया जा सके। उक्त संशोधन के पश्चात् कुछ इस प्रकार स्थिति बनती है । भू-प्रबंध कार्यवाही बन्द होने के पश्चात् जो मामले

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
नगर (डीग) राज०

भू-प्रबंध अधिकारी के अनिर्णीत रह जाते हैं, वे भू-अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) को हस्तांतरित कर दिये जाते हैं। ऐसे मामले भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधान है अनुसार निर्णीत किये जायेंगे।

भू-प्रबंध के दौरान जो लिपिकीय व अन्य गलतियां भू-प्रबंध अधिकारियों द्वारा की गई हैं, उनका निर्धारित रीति द्वारा भू-अभिलेख शुद्धिकरण कर सकेगा, या करा सकेगा बशर्ते कि हितबद्ध पक्षकार ऐसी गलतियों का भू-अभिलेख या रजिस्टर में किया जाना स्वीकार करे। यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान उपरोक्त प्रकार की गलतियां नोटिस की जाती हैं तो उन्हें एस.डी.ओ. को भेजेंगे। पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने हेतु नोटिस देकर तथा सुनवाई का अवसर प्रदान कर गलती के शुद्धिकरण हेतु भू-अभिलेख अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करेगा।

राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12 (183) रेव/बी/56 दिनांक 17-9-56 द्वारा ये शक्तियां उपखण्ड अधिकारियों को दी हुई है। यह अधिसूचना आज भी प्रभावी है। अतः वर्तमान में सभी उपखण्ड अधिकारियों के पास भू-अभिलेख अधिकारी को शक्तियां हैं। उपखण्ड अधिकारी के नीचे का कोई अधिकारी उपरोक्त प्रकार की गलतियों के शुद्धिकरण के लिए सक्षम नहीं है।यदि किसी सिवाय चक या राजकीय भूमि को किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी में बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी गलतियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की संशोधित धारा 136 के अन्तर्गत भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा।

अतः वर्तमान प्रकरण में हुई इस प्रकार की त्रुटि को विहित रीति से सही करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को है।

वर्तमान में आराज़ी अनुसूचित जाति के खातेदारों के नाम दर्ज रिकॉर्ड है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 के धारा विहित प्रावधानों का भी उल्लेख यह सुसंगत है ।धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कुछ इस प्रकार से है ।

"42. विक्रय, दान और वसीयत पर साधारण निर्बन्धन-किसी खातेदार अभिधारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग में के अपने हित का विक्रय, दान या वसीयत शून्य होगी, यदि-

1[(क) ×× विलोपित ××]

(ख) ऐसा विक्रय, दान या वसीयत, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो, या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो।

**2(ख ख) खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए, सहारिया अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त सहारिया जनजाति का सदस्य नहीं है, ऐसा विक्रय दान या इच्छापत्र (वसीयत)"

न्यायिक दृष्टांत लाड बाई बनाम अन्य में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा कुछ इस प्रकार से अपना अभिमत प्रकट किया गया है ।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

"धारा 42 जब लागू नहीं होती - अनुसूचित जाति के किसान की जमीन अन्य जाति के किसान के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के निष्पादन में अन्तरित की गई। ऐसा अन्तरण विक्रय, दान या वसीयत नहीं है। अतः धारा 42 ऐसे अन्तरण को लागू नहीं होती। राजस्व मण्डल का आदेश तथा कलक्टर का रेफरेन्स कानूनन गलत होने से अपास्त किए गए। ।1983 आर. आर. डी. 159 को अवधानता-ग्रस्त माना गया।।"

उक्त दृष्टांत के तथ्य यहाँ पूर्णतया चस्पा होते है । एक विधिक त्रुटि के कारण जो हक हकूक वैध रूप से हस्तांतरित नहीं हुए है उनके बाबत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। स्व० श्री कन्हैया जाति गुर्जर निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर जिला डीग (राज०) के विधिक वारिसान ने उक्त विवादित संपत्ति बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर ज़रिए हक्त्याग अन्य पुश्तैनी संपत्ति सम्मिलित करते हुए उक्त संपत्ति वादी भोवलसिंह पुत्र स्व० श्री कन्हैया जाति गुर्जर निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर के नाम किए जाने बाबत सहमति के शपथ पत्र भी दिये है जो संलग्न पत्रावली है।

:आदेश:

अतः उपरोक्त विवेचन , न्यायिक दृष्टांत तथा दस्तावेज़ी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर को आदेश दिए जाते है कि विवादित सम्पति हाल आराज़ी खसरा नंबर 681 कुल रक़बा 0.77 हेक्टेयर में से 0.69 ऐयर रक़बा वाके ग्राम बर्रू पर असल प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन कर वादी का नाम ज़रिए नामांतरण दर्ज राजस्व अभिलेख किया जावे , तदनुसार राजस्व नक्शा भी तरमीम कि जावे । शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी । इसी प्रकार पर्चा डिकी जारी हो। फ़ैसला सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो । फ़ैसला मेरे द्वारा दिनांक 11/09/2024 को लिखाया जाकर टंकित कराया गया।

(अनुपमा हरित) RAS
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
नगर (डीग)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०